

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## कार्यवृत्त

दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 01:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1.	प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्षा
2.	प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3.	डॉ० आर०के० गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर	सदस्य
4.	डॉ० शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, कानपुर	सदस्य
5.	प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6.	प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
7.	प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
8.	डॉ० सुधीर कुमार अवस्थी, उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
9.	डॉ० एन० के० बाजपेई, उपाचार्य, वाणिज्य विभाग, डी.ए.वी., कालेज, कानपुर	सदस्य
10.	डॉ० अंशु यादव, उपाचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
11.	डॉ० मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
12.	डॉ० नीता अग्रवाल, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान विभाग, नारायण आर्य कन्या पाठशाला, फर्रुखाबाद	सदस्या
13.	डॉ० विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव / वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव ने कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही

प्रारम्भ की :-

मद सं०-१: कार्य परिषद की विगत बैठक दिनांक 01.08.2018 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार करना।

परिषद ने दिनांक 01.08.2018 की अपनी बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

मद सं०-२: वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.08.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.08.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-३:** परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार

परिषद ने परिषद ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 के मद संख्या: ख में एम०एड० के छात्र/छात्राओं को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-४:** शासन के पत्र संख्या: 6/2018/597/सत्तर-1-2018-16(123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमों में अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य की अर्हताओं का प्राविधान सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

परिषद ने शासन के पत्र संख्या: 6/2018/597/सत्तर-1-2018-16(123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमों में अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य की अर्हताओं का प्राविधान सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की अनुमति प्रदान की।

**मद सं०-५:** डॉ० विनीत कटियार के प्रकरण पर विचार।

परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्र०० सुभाष चन्द्र अग्रवाल ने कहा कि डॉ० विनीत कटियार को कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु उपरिथित नहीं हुये। इसी क्रम में प्र०० संजय स्वर्णकार ने भी कहा कि डॉ० विनीत कटियार को सूचित किया गया किन्तु उपरिथित नहीं हुये तथा डॉ० मुनेश कुमार ने भी उक्त से सहमति व्यक्त की। तदोपरान्त परिषद ने डॉ० विनीत कटियार की पत्रावली का अवलोकन करते हुये विश्वविद्यालय की सेवाओं से टर्मिनेट किये जाने का निर्णय लिया एवं तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-६:** एकेडमिक काउंसिल की बैठक दिनांक 08.08.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार

परिषद ने एकेडमिक काउंसिल की बैठक दिनांक 08.08.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-७:** “अटल बिहारी बाजपेयी विधि संस्थान” के नामकरण के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से “अटल बिहारी बाजपेयी विधि संस्थान” के नामकरण पर सहमति व्यक्त करते हुये स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-८:** NSS Unit के नामकरण पर विचार।

**I- Atal Unit**

**II- Pt. Deen Dayal Upadhyay Unit**

**III- Vivekananda Unit**

**IV- Visvesarayya Unit**

परिषद ने सर्व सम्मति से NSS Unit के नामकरण हेतु I- Atal Bihari Bajpai Unit, II-Pt. Deen Dayal Upadhyay Unit, III-Swami Vivekananda Unit IV-Mokshagundam Visvesvaraya Unit के नामों पर सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-९:** कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (KUTA) द्वारा “अटल बिहारी बाजपेयी स्वर्ण पदक” एम०ए०, राजनीति शास्त्र में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रायोजित किये जाने पर विचार।

परिषद ने कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (KUTA) द्वारा प्रायोजित पदक हेतु रु. 01 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की धनराशि का चेक संख्या: 762858 दिनांक 04.09.2018 विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रस्ताव पर प्रस्तावित नाम “अटल बिहारी बाजपेयी स्वर्ण पदक” के स्थान पर “भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी स्वर्ण पदक” प्रायोजित किये जाने पर निर्णय लिया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की।

**मद सं०-१०:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पीएच०डी० उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 266 /सत्तर-१-२०१८-१६(७४)/२०११ दिनांक 24 अगस्त, 2018 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

परिषद ने उक्त मद पर चर्चा करते हुये उक्त शासनादेश को अंगीकृत किया तथा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के पी०एच०डी० अध्यादेश के क्रियान्वयन के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार करना।

- परिषद में चर्चा की गई कि पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर "अटल बिहारी बाजपेयी चेयर" स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
- प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के संकाय निर्धारण का प्रकरण प्रगति पर है तथा अवगत कराया कि इससे सम्बन्धित विद्या परिषद की बैठक में स्वीकृत हो चुका है इसका कार्य पूर्ण होने पर आगामी सत्र से हेल्थ साइंस का पदक निर्धारित समय में दिया जाने लगेगा। प्रस्ताव किया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की स्नातक कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रायोजित स्वर्ण पदक "श्रीमती नन्दरानी देवी स्वर्ण पदक" प्रदान किया जाय, जिस पर समिति के मा० सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

डॉ(विनोद कुमार सिंह)  
कुल सचिव / सचिव

प्रो०(नीलिमा गुप्ता)  
कुलपति / अध्यक्षा